कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 263 /XXV–12 /2008 (P–4) देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री प्रवीण शर्मा जीन्नी,
पुत्र श्री योगेश शर्मा,
जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीतनगढ़, पो0 अम्बाड़ी,
विकासनगर, देहरादून।

**विषयः–** **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या–01 मे चाही गयी सूचना मे आपको आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्या 19767 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के साथ आपके शिकायती पत्र को भेजा गया था किन्तु निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा इस शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं है जिस कारण आपके शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपके द्वारा चाही गयी सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
**उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,**
**सचिवालय परिसर, देहरादून।**

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

BPL पात्र

रा०जी०

दिनांक ~~#~~ 21/2/15

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / प्रमुख सचिव कार्यालय
निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय:- सूचना अधिकार अधि० के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें :—

1 – जन आकांक्षा अनुभाग-5, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं० JA/19767/XXXV-5/2014 (1) दिनांक 23/12/14 के माध्यम से आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रो०जीत राम (विधायक/सभा सचिव) द्वारा दो-दो संस्थानों से दोहरा लाभ प्राप्त कर लाखों की लाखों रूपया चूना लगाये जाने विषयक शिकायत की गयी थी, उक्त मामले में आपके स्तर से की गयी कार्यवाही, अनुभाग-5 में प्रस्तुत शिकायत द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां।

संलग्नक -

— उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 23/12/14 की प्रति।
— शिकायती पत्र दिनांक 15/12/14 की प्रति पुलिस सम्बन्धी है।
— BPL प्रमाण पत्र सं० 7315/100 की प्रति

24-02.2015 को प्राप्त

DVT 238 आवेदन

प्रदीप शर्मा पौत्र श्री
पुत्र श्री योगेश शर्मा
जिला मीडिया प्रभारी जन संघर्ष मोर्चा
जीवनगढ़ पो०-अम्बाड़ी
विकासनगर, दे०दून

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5
क0संख्या: **JA/** 19767 **/xxxv–5/2014** (1)
देहरादून: दिनांक 23-12- **2014**

**प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग**
सचिव, उच्च शिक्षा/गोपन विभाग
**सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून**
**उत्तराखण्ड शासन।**

कृपया सभा सचिव/विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 जीतराम को जनता की कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा दो–दो संस्थानों से लिये गये लाखों रूपये की वसूली करने विषयक श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 15.12.2014, जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक यथोपरि।

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

**क0संख्या: JA/ /xxxv–5/2014 ( )तद्दिनांक।**
प्रतिलिपि:– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के कम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

# जन संघर्ष मो...

## उत्तराखण्ड

रघुनाथ सिंह नेगी
अध्यक्ष
पूर्व उपाध्यक्ष
गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN)

निवासः अस्पताल रोड़, विका...
जनपदः देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोनः 08979309099

**ज्ञापन**

क्रमांक.............................

दिनांक...15/12/14..........

सेवा में,

मा0 मुख्यमन्त्री
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषयः— **सभा सचिव—विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 जीतराम को जनता की गाढी कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त कर इनके द्वारा दो—दो संस्थानों से लिये गये लाखों रूपये वसूल करने विषयक।**

मान्यवर,

अवगत कराना चाहते हैं कि थराली से कांग्रेस विधायक एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 जीतराम ने परम्परा की सारे हदें पार कर जनता की गाढी कमाई को लूटने का काम किया है। उक्त विधायक द्वारा लगभग रू0 1,02,000/— प्रतिमाह प्रोफेसर के रूप में तथा लगभग रू0 80,000/— प्रतिमाह विधायकी के रूप में सरकार से लिए जा रहे हैं जिसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रू0 30,000/—, सचिवीय भत्ता रू0 1,000/—, चिकित्सीय भत्ता रू0 1,000/—,रू0 30,000/— जनसेवा भत्ता, रू0 15,000/— डीजल/पैट्रोल भत्ता आदि प्रतिमाह लिए जा रहे हैं, तथा इसके साथ—साथ सभा सचिव के रूप में भी अन्य सुविधायें ली जा रही हैं, जो कि सरकारी खजाने में खुली लूट है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक बुद्विजीवी प्रोफेसर होने के बावजूद एक विधायक द्वारा इस प्रकार का अनैतिक कृत्य कर सरकार को अब तक लगभग 60 लाख रू0 का चूना लगाया जा चुका है तथा इसके साथ—साथ क्षेत्र की जनता व विश्वविद्यालय दोनों के साथ विश्वासघात किया गया है। क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि उक्त विधायक, प्रोफेसर होने के कारण न तो छात्रों को पढ़ाते है और न ही ठीक प्रकार से जनता की सेवा कर पाते हैं, इससे स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि मात्र सरकारी धन ठिकाने लगाने के लिए ही इस क्षेत्र में आते हैं। उक्त विधायक द्वारा बडी चालाकी से विधायक के रूप में मिलने वाले मात्र 5,000/— वेतन नहीं लिया जाता जबकि विधायक के रूप में लगभग सभी भत्ते जो कि लगभग रू0 1,00,000/— होता है प्रतिमाह लिया जाता है। अति महत्वपूर्ण यह है कि उक्त विधायक द्वारा अनवरत विद्यालय से वेतन आहरित किया जा रहा है तथा प्रत्येक दिन का भत्ता इत्यादि विधायकी के रूप में लिया जा रहा है, जो कि सरासर खुली लूट है। सरकार को चाहिए कि उक्त विधायक द्वारा लिये गये लाखों रूपये वसूले जाने तथा ऐसे जनप्रतिनिधि को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।

अतः आग्रह है कि विधायक डॉ0 जीतराम को जनता की गाढी कमाई लूटने के मामले में तत्काल बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित/आहरित धन की वसूली करने का कष्ट करें, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई को लुटने से बचाया जा सके।

सादर।

भवदीय

(रघुनाथ सिंह नेगी)

भारतीय डाक
India Post

RL VIKASNAGAR 248198
A RU604669905IN
Counter No:1,OP-Code:PAS
To:CM,
Dehradun G.P.O., PIN:248001
From:RAGHUNATH SINGH NEGI , V NAGAR
Wt:12grams,
Amt:22.00 , 15/12/2014 , 13:04
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

1. परिवार के मुखिया का नाम [illegible]

2. पिता/पति का नाम राम स्वरूप शर्मा

3. जाति:- सामान्य / अनु.जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग [illegible]

4. शैक्षिक योग्यता [illegible]

5. ग्राम/मोहल्ला/मकान नं०/वार्ड (5) [illegible]

6. ग्राम पंचायत का नाम [illegible]

7. विकास खण्ड का नाम [illegible]

8. जनपद देहरादून

9. परिवार का बी.पी.एल. आई.डी. सं० 7315/152

फोटो (वैकल्पिक)

(देहरादून)

10. परिवार के मुखिया का नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा

नोटः- कार्ड धारक द्वारा अपना फोटो प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाणित किया जा सकेगा।

11. परिवार के सदस्यों का विवरण

| क्र. सं. | परिवार के सदस्यों के नाम | पिता/पति का नाम | आयु | लिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | 65 | पु० |
| 2 | [illegible] | [illegible] | 60 | स्त्री |
| 3 | [illegible] | [illegible] | 45 | पु० |
| 4 | [illegible] | [illegible] | 40 | स्त्री |
| 5 | [illegible] | " " | 6 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | " " | 4 | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | 32 | पु० |
| 8 | [illegible] | [illegible] | 28 | स्त्री |
| 9 | [illegible] | [illegible] | 23 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | 25 | [illegible] |

12. परिचय-पत्र जारी करने की तिथि.............. वैधता..............

13. नवीनीकरण का विवरण

| क्र. सं. | तिथि | वैधता | नवीनीकरण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/नाम पदनाम/मुहर सहित |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

21/10/[illegible]

ग्राम पंचायत/नगर वि० अधिकारी

सहायक खण्ड वि० अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी

5 [illegible]

पंजी०

B.P.L. पात्र

दिनांक 30/3/15

सेवा में,

विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :- लो० सू० अ०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक ।

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 21/2/15 को 1 (एक) बिन्दु पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र लो० सू० अ०/ प्रमुख सचिव कार्यालय, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लो० सू० अ०/ अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं० 263/XXV-14/2008(P-h) दिनांक 23/3/15 के माध्यम से सूचना रूपी पत्र उपलब्ध कराया गया, जो कि पूर्णतया अपूर्ण एवं भ्रामक है।

इस बिन्दु में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के जन शिकायत विभाग -5 दिनांक 23/12/14 जिसमें सभा सचिव / विधायक श्री जीतराम द्वारा दो-दो संस्थानों से लिये जा वेतन इत्यादि सम्बन्धी कार्यवाही निर्वाचन विभाग से की जानी अपेक्षित थी लेकिन लोक सूचनाधिकारी द्वारा मात्र यह उल्लेख किया कि "शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है तथा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी", क्या उचित है ।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रों पर 3-3 माह में भी कार्यवाही नहीं हो रही है तो आम व्यक्ति के अनुरोध पत्र / प्रार्थनापत्रों पर विभाग क्या कार्यवाही करता होगा प्रतिलक्षित है।

लोक सूचनाधिकारी द्वारा मात्र उल्लेख किया गया जबकि कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी । हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र को किस अधिकारी से जाँच के लिये भेजा गया तथा किस उच्चाधिकारी ने उस पर क्या टिप्पणी लिखी, इसका भी उल्लेख नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त शिकायती पत्र Deep fridger में रख दिया गया है।

अतः आग्रह है कि अपील पर कार्यवाही करने का कष्ट करें,

संलग्नक -
— दिनांक 21/2/15 को प्रेषित पत्र की प्रति मय शिकायती पत्र सहित
— लो० सू० अ० द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना दिनांकित 23/3/15 की प्रति।

~~[illegible]~~
प्रवीण शर्मा पिन्नी
पुत्र श्री योगेश शर्मा
जिला मीडिया प्रभारी - जन संघर्ष मोर्चा
जीवनगढ़ पो० - अम्बाड़ी
विकासनगर, दे०

BPL पत्र

आर०टी०आई०

दिनांक 2/2/15

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / प्रमुख सचिव कार्यालय
निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय:- सूचना अधि० अधि० के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय, कृपया निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1- जन आकांक्षा अनुभाग-5, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं० JA/-19767/XXXV-5/2014 (1) दिनांक 23/12/14 के माध्यम से आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रेमनगर देहरादून (विधानसभा सचिव) द्वारा दो स्थानों से [illegible] मतदाता सूची [illegible] कराये जाने विषयक शिकायत की गयी थी, उक्त मामले में आपके स्तर से की गयी कार्यवाही, अनुपालन में [illegible] द्वारा की गयी कार्यवाही व सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां।

संलग्नक -

- उक्त कार्यालय के पत्र सं० 23/12/14 की प्रति।
- शिकायती पत्र दिनांक 15/12/14 की प्रति (मूलत: संलग्न है)।
- BPL कार्ड सं० 7315/06 की प्रति

BPL 237 आवेदक

प्रवीण शर्मा पिन्नी
पुत्र श्री योगेश शर्मा
जिला मीडिया प्रभारी जन संघर्ष मोर्चा
ओमनगर पो० - अम्बाड़ी
विकासनगर, दे० दून

RL V.NAGAR <248198>
A RV355056703IN
Counter No:1,OP-Code:P05
To:PIO PRINCIPAL,SECRETARY
Dehradun G.P.O., PIN:248001,
From:PRAVEEN SHARMA, VIKAS NAGAR
Wt:20grams,
Amt:22.00, 23/02/2015, 11:37
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5
क0संख्या: JA/19767 /xxxv-5/2014 (1)
देहरादून: दिनांक 23-12- 2014

प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग
सचिव, उच्च शिक्षा/गोपन विभाग
सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया सभा सचिव/विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 जीतराम को जनता की कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा दो–दो संस्थानों से लिये गये लाखों रूपये की वसूली करने विषयक श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 15.12.2014, जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक यथोपरि।

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

क0संख्या: JA/ /xxxv-5/2014 ( )तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास– अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के कम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

1. परिवार के मुखिया का नाम जोगेश्वर शर्मा

2. पिता/पति का नाम रामेश्वर शर्मा

3. जातिः- सामान्य / अनु.जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग........ सामान्य

4. शैक्षिक योग्यता इण्टर

5. ग्राम/मौहल्ला/मकान नं०/वार्ड (5)

6. ग्राम पंचायत का नाम [illegible]

7. विकास खण्ड का नाम विकासनगर

8. जनपद देहरादून

9. परिवार का बी.पी.एल. आई.डी. सं० 7315/168

फोटो (वैकल्पिक)

10. परिवार के मुखिया का नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा

नोटः- कार्ड धारक द्वारा अपना फोटो प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाणित किया जा सकेगा।

11. परिवार के सदस्यों का विवरण

| क्र. सं. | परिवार के सदस्यों के नाम | पिता/पति का नाम | आयु | लिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जोगेश्वर शर्मा | [illegible] | 65 | पु० |
| 2 | [illegible] | जोगेश्वर शर्मा | 60 | स्त्री |
| 3 | [illegible] शर्मा | जोगेश्वर शर्मा | 47 | पुत्र |
| 4 | पूजा शर्मा | [illegible] | 40 | पत्नी |
| 5 | [illegible] | " | 6 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | " " | 4 | [illegible] |
| 7 | [illegible] शर्मा | जोगेश्वर शर्मा | 32 | पुत्र |
| 8 | प्रीती शर्मा | [illegible] | 28 | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | 23 | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | 25 | [illegible] |

12. परिचय-पत्र जारी करने की तिथि.............. वैधता............

13. नवीनीकरण का विवरण

| क्र. सं. | तिथि | वैधता | नवीनीकरण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/नाम पदनाम/मुहर सहित |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

ग्राम पंचायत/नगर वि० अधिकारी | सहायक खण्ड वि० अधिकारी | खण्ड विकास अधिकारी 21/10/[illegible]

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 263 /XXV–12 /2008 (P–4) देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री प्रवीण शर्मा जीन्नी,
पुत्र श्री योगेश शर्मा,
जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीतनगढ़, पो0 अम्बाड़ी,
विकासनगर, देहरादून।

**विषयः–** **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या–01 मे चाही गयी सूचना मे आपको आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्या 19767 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के साथ आपके शिकायती पत्र को भेजा गया था किन्तु निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा इस शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं है जिस कारण आपके शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपके द्वारा चाही गयी सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
**उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,**
**सचिवालय परिसर, देहरादून।**

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी